(ग) क्या भारत सरकार दिनांक 13 सितम्बर, 1990 के अपने परिपत्र की उपेक्षा कर ऐसे मामलों में नियमन की स्वीकृति न दिए जाने पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में पुन विचार कर आदिवासियों के हित में 24 अक्तूबर 1988 तक हुए वन-क्षेत्रों के अतिक्रमणों के नियमन की अनुमति देगी, यदि हां, तो कब तक और

(ङ) क्या माननीय पर्यावरण और वन मंत्री ने खरगौन जिले के अपने पिछले दौरे के समय उस जिले के अतिक्रमण करने वाले आदिवासियों को स्थायी पट्टे देने की घोषणा की थी; यदि हां, तो उन्हें पट्टे संबंधी विलेख कब तक दे दिए जाएंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मंत्रालय द्वारा 18-9-1990 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत 25-10-1980 से पूर्व वन भूमि पर किए गए अवैद्य कब्जों को नियमित करने पर कतिपयमानदण्डों की पूर्ति के अधीन विचार किया जा सकता है ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने 18-9-90 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों पर पुन: विचार करने और वन भूमि पर 24-10-1980 तक किए गए अवैद्य कब्जों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार के इरादे के बारे में एक अनुरोध किया था । तथापि, वन भूमि पर 24-10-1980 तक किए गए अवैद्य कब्जों के नियमितीकरण के लिए वन भूमि के इस्तेमाल के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत राज्य सरकार से अभी तक औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्णय लेने के लिए उसकी जांच की जाएगी ।

(घ) 18-9-1990 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत 24-10-1980 के बाद किए गए अवैद्य कब्जों को किसी भी हालत में नियमित नहीं किया जाना चाहिए ।

(ङ) वन भूमि पर किए गए अवैद्य कब्जों के नियमितीकरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके है ।

Narayan Sarovar Sanctuary

998. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: SHRIMATI VEENA VERMA

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report which appeared in the Times of India of January 11, 1994 captioned 'Government has tens Gujarat sanctuary destruction,' relating to the obliteration of the Narayan Sarovar Sanctuary ; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto and action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) :

(a) Yes, Sir

(b) Since no alteration of the boundaries of a sanctuary can be made except on a resolution passed by the Legislature of the State, the Central Government is in correspondence with the State Government to know if the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972 have been followed in cancelling the notification of the sanctuary. The response from the State Government is awaited.

Diversion of Forest Land in Gujarat

999. SHRI AHMED MOHMEDBHAI PATEL : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Gujarat Government has forwarded 20 proposals upto 31st October, 1993 for seeking prior approval for diversion of forest land ;